



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

रीवा हवाईअड्डा, रीवा 486006
Rewa Airport, Rewa -486006

संदर्भ नं: भा.वि.प्रा/रीवा / सुरक्षा/ 26/2024-25/411

दिनांक: 28.02.2025

सेवा मे,

मेसर्स 7241 अक्षय सुरंगलीकर सुरक्षा एजेंसी,
दुकान संख्या 01, प्लॉट संख्या 140, श्री विनायक
वैली कॉलोनी, व्यंजन रेस्टोरेंट के सामने,
कारोनद बायपास रोड भोपाल, मध्य प्रदेश-
462001
मोबाईल नंबर: 8826082109
ई मेल - asuranglikar@rediffmail.com

To,

M/s. 7241 Akshay Suranglikar Security Agency
Shop No. 01, Plot No. 140, Shri Vinayak
Valley Colony, Opposite Vyanjan
Resturant, Karond Bypass Road,
Bhopal (MP)-462001
Mob No: 8826082109
Email id - asuranglikar@rediffmail.com

विषय: रीवा एयरपोर्ट हेतु 06 DGR सुरक्षा गार्ड्स उपलब्ध कराने हेतु कायदेशि।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत डी.जी.आर.के पत्र सं. No: 4014/SA/ AAI/Rewa/17 Jan 2025 / Madhya Pradesh / 7241 / 8763 / 8970 / 8775/res दिनांक 17.01.2025 के अनुसार अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली गयी निविदा क्र. 2025_AAI_225483_1 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपके पक्ष में मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। अतः आपको 06 सुरक्षा गार्ड (unarmed) दिनांक 01.03.2025 से नियुक्त करने हेतु डी.जी.आर. के न्यूनतम वेजेस रेट के अनुसार जो की अक्टूबर 2024 से लागू है, पर किया गया है (संलग्न-परिशिष्ट-ए)

डी.जी.आर. के अनुसार समय पर न्यूनतम वेजेस रेट के अनुसार वेतन वृद्धि या कमी की जाती है, उसका भुगतान वास्तविक भुगतान के आधार पर किया जाएगा।

कान्ट्रैक्ट की अवधि 06 महीना (दिनांक 01.03.2025 से 31.08.2025 तक होगी) कार्य संतुष्टि कि दशा में, सक्षम प्राधिकारी कि अनुमति पश्चात ही अतिरिक्त 03 माह हेतु बढ़ाया जा सकेगा।

उपरोक्त वर्णित डी.जी.आर. पत्र के अनुसार दस्तावेजों कि मूल प्रति के साथ आप स्वयं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर करारनामे को पूरा करें।

निम्नलिखित शर्तों / गाइडलाइनो का पूर्व सैनिक सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा स्टेशन पर सुरक्षा गार्ड लगाए जाने से पूर्व कड़ाई से पालन किया जाना होगा -

1. डी.जी.आर. के अनुसार एक माह कि लाइसेंस फीस के 10% के बराबर रकम है, को सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नामे भोपाल पर देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में एस. डी. अनुबंध चालू करने के पहले जमा कराना होगा या प्रथम माह के बिल में से उक्त राशि काट ली जाएगी।
2. सुरक्षा एजेंसी के द्वारा प्रदत्त सभी 06 सुरक्षा गार्ड्स, गार्ड्स के रूप में कार्य सुरक्षा अनुभाग से प्राप्त निर्देशानुसार कार्य सभी प्रकार के रिकार्ड का संधारण फाइलों व रजिस्ट्रों का संधारण आदि करने में सक्षम हो।
3. सुरक्षा गार्ड्स को मिलने वाले वेतन में DGR सरकार द्वारा संशोधन किए जाने पर और GST में संशोधन होने पर उक्त संशोधन अनुसार बदला जाएगा।
4. डी.जी.आर. के निर्देशों के अनुसार पूर्व सैनिक सिक्योरिटी को प्रति-माह चेक एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भाविप्रा के प्रतिनिधि की उपस्थिति में भुगतान किया जाना है।

28/2/25



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

रीवा हवाईअड्डा, रीवा 486006
Rewa Airport, Rewa -486006

5. सिक्योरिटी एजेंसी को दिया गया कार्य किसी अन्य व्यक्ति / एजेंसी को आगे sublet नहीं किया जा सकेगा।
6. सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्डों का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस प्राधिकारी द्वारा उनके कार्य पर नियोजन से पहले कराना होगा।
7. सिक्योरिटी एजेंसी ही एक मात्र रूप से सभी कानून को पालन करने हेतु जिम्मेदार होगी व सभी श्रम नियमों व भत्तों के भुगतान हेतु DGR Guidelines का पालन करना होगा एवं इस प्रकार के सुरक्षा गार्ड को लगाने पर होने वाली समस्त औपचारिकताओं को पूरा करना होगा एवं इस प्रकार के सुरक्षा गार्ड को लगाने पर होने वाली समस्त स्थानीय औपचारिकताओं का पूरा करना होगा।
8. 'सिक्योरिटी एजेंसी' को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर तीन कॉपी में इस कार्य हेतु अनुबंध कराना होगा एवं इस पर अपना फोटो सत्यापित कर लगवाना होगा। इस अनुबंध के प्रत्येक पन्ने पर 'सिक्योरिटी एजेंसी' एवं भ.वि.प्रा. को हस्ताक्षर करने होंगे।
9. भाविप्रा के पास एक सप्ताह के नोटिस पर बिना कोई कारण बताए कार्य को समाप्त करने का अधिकार होगा।
10. सिक्योरिटी एजेंसी के empanelment के पाँच साल पहले सिक्योरिटी एण्ड फाइटिंग कोर्स किया होना चाहिए और DGR के प्रयोजन के उपरांत भी यह कोर्स किया होना चाहिए।
11. सिक्योरिटी एजेंसी के पास नियम अनुसार राज्य सरकार से जारी श्रम लाइसेन्स व पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए।
12. DGR के निर्देशों के अनुसार यदि सिक्योरिटी एजेंसी के पास EPF,ESI,GST व श्रमिक लाइसेन्स न हो तो सिक्योरिटी एजेंसी को उक्त लाइसेन्स प्राप्त करना / रेजिस्ट्रेशन करना इस कार्य के अवॉर्ड के 45 दिन के अंदर करना होगा एवं कागजात को इस कार्यालय में तय अवधि में प्रस्तुत करने होंगे।
13. सिक्योरिटी एजेंसी' को बैंक से अपने बैंक खातों को सत्यापित कराते हुए बैंक खाता प्रदान व उसे प्रचलित करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम पता इस कार्यालय में जमा करना होगा।
14. सिक्योरिटी एजेंसी' को अपना पूर्ण पता व मोबाईल /टेलीफोन/ फैक्स नं/ ई-मेल पता सूचित करना होगा।
15. सिक्योरिटी एजेंसी' को DGR द्वारा जारी निर्देशों, नियमों व गाइडलाइंस का पालन करना होगा व इस प्रकार कि undertaking देनी होगी कि एजेंसी समस्त DGR नियमों निर्देशों व गाइडलाइंस का पालन कर रही है इस संबंध में एजेंसी को सुरक्षा गार्ड्स लगाने से पहले DGR/AAI के नियम व शर्तों के पालन करने कि सहमती देनी होगी।
16. मासिक बिल सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रत्येक माह कि सात तारीख के पूर्व मुख्य सुरक्षा अधिकारी, भाविप्रा, रीवा एयरपोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँ।
17. रीवा एयरपोर्ट के मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा गार्ड के नियोजन हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे व मासिक बिलों को सत्यापित करने व तत्संबंधी रिकार्ड को संधारित करने हेतु उत्तरदायी होंगे।
18. एजेंसी को प्रत्येक गार्ड के लिए Workmen's Compensation Act के अनुसार Mediclaim-Policy लेनी होगी तथा इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
19. टेन्डर दस्तावेज में वर्णित सभी बिंदुओं का पालन करना होगा।

W
28/2/25



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

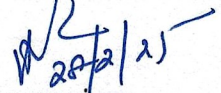
रीवा हवाईअड्डा, रीवा 486006
Rewa Airport, Rewa -486006

20. इस कार्य आदेश का स्वीकृत पत्र 03 दिवस में इस कार्यालय में जमा करें।

21. सुरक्षा गार्ड को लाठी और टॉर्च उपलब्ध करने की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी।

धन्यवाद,

भवदीय,



(असीम कुमार मंडल)
विमानपत्तन निदेशक,
भारतीय विमानपत्तन निदेशक,
रीवा हवाई अड्डा, रीवा

प्रतिलिपि -

1. विमानपत्तन निदेशक, भाविप्रा, राजा भोज विमानतल, भोपाल -सूचनार्थ।
2. सहा. महाप्रबंधक (वित्त), भाविप्रा, राजा भोज विमानतल, भोपाल -सूचनार्थ।
3. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, भाविप्रा, भोपाल विमानतल, भोपाल- सूचनार्थ।
4. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, भाविप्रा, रीवा विमानतल, रीवा -आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. Directorate of Resettlement, Zone-C, Govt of India, Ministry of Defense .C/o Hqrs Central Command. Lucknow Cantt. -02 – For Your information please.